NBF USHERS NEW INITIATIVES

News Broadcasters Federation led by Arnab Goswami has embarked on a digital media subcommittee for broadcasters with digital presence.

Members of NBF presently include Dighvijay, DY365 News, First India Rajasthan, Gulistan News, IBC24, India News, JK 24X7, Living India News, News Live, News Nation, NewsX, North East Live, Odisha TV, Prag News, MH One News, PuthiyaThalaimurai TV, News First Kannada, Republic Bharat, Republic TV, S Newz, TV5, and Twenty Four News.

Jai Krishna, Secretary-General of NBF said: "The digital media revolution has brought a paradigm shift in the consumption of news from larger screens to handheld devices; Digital also has the ability to reach a larger audience. NBF's digital media subcommittee with a strong self-regulatory structure will strive to bring clarity on regulatory compliances of news by traditional news broadcasters who have a digital presence, and level playing for linear TV and digital platforms broadcasting news. This will also bring out responsible news broadcasting for the digital audience."

According to the NBF, the subcommittee would work closely with MIB to help broadcasters adapt to the new regime of self-regulation when it comes to digital content.

The NBF along with the other broadcasters' body News Broadcasters Association (NBA) has already written to the ministry to exclude traditional news broadcasters from coming under the purview of the new IT Rules. As per the new rules, the publishers of news on digital media are required to observe Norms of Journalistic Conduct of the Press Council of India and the Programme Code under the Cable Television Networks Regulation Act.

"Broadcasters sometimes use the same content they use on TV for their digital platforms and this content is already regulated by several laws such as the Cable

एनबीएफ ने नयी पहल की शुरूआत की

अनङ्व गोस्वामी के नेतृत्व में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने डिजिटल उपस्थिति वाले प्रसारकों के लिए एक डिजिटल मीडिया उपसमिति शुरू की है।

एनबीएफ के सदस्यों में वर्तमान में दिग्विजय, डीवाई**365** न्यूज, फर्स्ट इंडिया राजस्थान, गुलिस्तान न्यूज, आईबीसी**24**, इंडिया न्यूज, जेके **24**X **7**, लिविंग इंडिया न्यूज, न्यूज लाइव, न्यूज नेशन, न्यूजएक्स, नार्थ ईस्ट लाइव, ओडिशा टीवी, प्राग न्यूज, एमएच वन न्यूज, पुथिया थलाई मुरै टीवी, न्यूज फर्स्ट कन्नड, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, एस न्यूज, टीवी **5** और **24** न्यूज शामिल है।

एनबीएफ के महासचिव जय कृष्ण ने कहा 'डिजिटल मीडिया क्रांति ने बड़ी स्क्रीन से लेकर हैंडहेल्ड डिवाइस तक समाचारों की खपत में एक आदर्श बदलाव लाया है, डिजिटल में व्यापक पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचने की क्षमता है। एक मजबूत स्व नियामक संरचना के साथ एनबीएफ की डिजिटल मीडिया उप समिति पारंपरिक समाचार प्रसारकों द्वारा समाचारों के नियामक अनुपालन पर स्पष्टता लाने का प्रयास करेगी, जिनके पास डिजिटल उपस्थिति है और लिनियर टीवी और डिजिटल प्लेटफार्म समाचार प्रसारित करने के लिए एक समान अवसर देता है। यह डिजिटल दर्शकों के लिए जिम्मेदार समाचार प्रसारण भी लायेगा।

एनबीएफ के अनुसार डिजिटल सामग्री के मामले में उपसमिति एमआईबी के साथ मिलकर काम करेगी ताकि प्रसारकों को स्व नियमन के नये शासन के अनुकूल होने में मदद मिल सके।

अन्य प्रसारक संस्थायें न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के साथ एनबीएफ ने पहले ही मंत्रालय को पारंपरिक समाचार प्रसारकों को नये आईटी नियमों के दायरे में आने से बाहर करने के लिए लिखा है। नये नियमों के अनुसार डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रकाशकों को केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों और कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है।

एनबीएफ के महासचिव ने कहा कि 'प्रसारक कभी–कभी उसी सामग्री का उपयोग करते हैं जो वे अपने डिजिटल प्लेटफार्म के लिए टीवी पर उपयोग करते हैं और यह सामग्री पहले से ही केबल टेलीविजन

Television Networks Regulation Act, 1995, Uplinking and Downlinking Guidelines 2011. The IT Rules would be another additional and unnecessary filter for the same content. Our digital subcommittee will work in the best interest of broadcasters and help them with any sort of guidance they require in the new scheme of things," the Secretary-General of NBF said.

NBF REQUESTS BARC TO NOT TERMINATE END USER LICENSE AGREEMENT WITH NEWS CHANNELS

NBF also requests them to not pressurize their member news channels that are protesting to pay the fees due to pause in BARC's weekly rating availability.

News Broadcasters Federation (NBF) has written to BARC (Broadcast Audience Research Council) requesting them to not terminate the End User License Agreement (EULA) with news channels for non-payment of BARC fees.

The said EULA in Claus 8(ii) says, "The payment terms applicable for the License Fee shall be set out in the SOW. Subscriber understands and agrees that in the event of delay in payment of the License Fee beyond the periods stipulated in the SOW, then without prejudice to BARC's right to terminate this Agreement, Subscriber shall be required to pay such interest, as set out in the SOW, which will be applicable from the due date of payment till the actual date of payment."

Specifically, the payment pertains to BARC releasing data of audience measurement under certain products it provides to the news channels and not for collecting the data alone.

"BARC charges Broadcasters a flat fee and in addition to a percentage of the advertising revenue, as subscription fees. Most news channels have paid the subscription amount until September 2020, and also have submitted a revenue projection. Due to the ongoing pandemic, lockdowns, and the impact on the overall economy as well as BARC decision to pause ratings for the news genre, the revenue projections have steeply declined. Hence, we strongly believe new channels have paid in excess to BARC, which would result in BARC giving them credit note, and adjusting for future subscription fees," the letter said.

In the letter written to the board of directors at

नेटवर्क विनियमन अधिनियम **1995**, अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंग दिशा निर्देश **2011** जैसे कई कानूनों द्वारा विनियमित है। आईटी नियम एक और अतिरिक्त व अनावश्यक होंगे। समान सामग्री के लिए फिल्टर करें। हमारी डिजिटल उपसमिति प्रसारकों के सर्वात्तम हित में काम करेगी और उन्हें नयी योजना में किसी भी तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी।

एनबीएफ ने बार्क से न्यूज चैनलों के साथ अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंस समझौते को समाप्त नहीं करने का अनुरोध किया

एनबीएफ ने अनुरोध किया है कि वे अपने सदस्य समाचार चैनलों पर दबाव न डालें जो बार्क की साप्ताहिक रेटिंग उपलब्धता में ठहराव के कारण शुल्क का भुगतान करने का विरोध कर रहे हैं।

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ) ने बीएआरसी (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल) को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि बीएआरसी शुल्क का भुगतान न करने के लिए न्यूज चैनलों के साथ एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट (ईयूएलए) को समाप्त न करे।

क्लॉज **8** (ii) में उक्त ईयूएलए कहता है कि 'लाइसेंस शुल्क के लिए लागू भुगतान शर्ते एसओडब्लू में निर्धारित की जायेंगी। सब्सक्राइवर समझता है और सहमत है कि एसओडब्लू में निर्धारित अवधि से परे लाइसेंस शुल्क के भुगतान में देरी की स्थिति में इस समझौते को समाप्त करने के बीएआरसी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सब्सक्राइवर को एसओडब्लू में निर्धारित ब्याज का भुगतान करना होगा जो भुगतान की देय तिथि से भुगतान की वास्तविक तिथि तक लागू रहेगा।

विशेष रूप से भुगतान बीएआरसी से संबंधित है जो कुछ उत्पादों के तहत दर्शकों के माप के डेटा को समाचार चैनल को प्रदान करता है न कि केवल डेटा एकत्र करने के लिए।

पत्र में कहा गया है कि 'बीएआरसी प्रसारकों से फ्लैट शुल्क और विज्ञापन राजस्व के एक प्रतिशत के अलावा सदस्यता शुल्क के रूप में शुल्क लेता है। अधिकांश समाचार चैनलों ने सितंबर **2020** तक सदस्यता राशि का भुगतान कर दिया है और राजस्व अनुमान भी प्रस्तुत कर दिया है। चल रही महामारी, लॉकडाउन और समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के साथ-साथ बीएआरसी के समाचार शैली के लिए रेटिंग रोकने के निर्णय के कारण राजस्व अनुमानों मे भारी गिरावट आयी है। इसलिए हम दृढ़ता से मानते हैं कि नये चैनलों ने बीएआरसी को अधिक भुगतान किया है जिसके परिणामस्वरूप बीएआरसी उन्हें क्रेडिट नोट देगा और भविष्य की सदस्यता शुल्क के लिए समायोजन करेगा।'

5 जून को बीएआरसी के निदेशक मंडल को लिखे पत्र में

BARC on June 5, NBF requests them to not pressurize their member news channels that are protesting to pay the fees due to pause in BARC's weekly rating availability, by sending notices for suspending data collection for the respective news-channel and to pay up immediately.

Explaining non-payment of fees from the broadcasters' side, the letter said, "BARC unilaterally decided to suspend publishing of weekly viewership of news channels in October 2020 for 8-12 weeks, for the purported reason of their having to review the rating process in the wake of the so-called TRP scam. It is now almost 9 months since the suspension that BARC has not addressed their issues, as the weekly ratings for news channels is not made available".

The letter also points out how news channels are facing stiff pushback from the advertisers and their agencies on grounds that the absence of rating data is limiting their analysis of the prevailing trends on channel performance. "This has caused a major disadvantage to the news channels in their commercial negotiations with the Advertising Agencies," NBF points out in the letter. ■

एनबीएफ ने उनसे अनुरोध किया है कि वे अपने सदस्य समाचार चैनलों पर दबाव न डाले, जो बीएआरसी की साप्ताहिक रेटिंग उपलब्धता में ठहराव के कारण शुल्क का भुगतान करने का विरोध कर रहे हैं, इसके लिए संबंधित समाचार चैनल के लिए डेटा संग्रह को निलंबित करने और तुरंत भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा गया है।

प्रसारकों की ओर से शुल्क का भुगतान न करने की व्याख्या करते हुए पत्र में कहा गया है 'बीएआरसी ने एकतरफा रूप से रेटिंग प्रक्रिया की समीक्षा करने की कथित कारण के लिए अक्टूबर **2020** में तथाकथित टीआरपी घोटाले के मद्देनजर समाचार चैनलों के साप्तिाहिक दर्शकों की संख्या को **8–12** सप्ताह के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया है। निलंबन को अब लगभग **9** महीने हो गये हैं कि बीएआरसी ने उन मुद्दों का समाधान नहीं किया है क्योंकि समाचार चैनलों के लिए साप्ताहिक रेटिंग उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

पत्र में यह भी बताया गया है कि कैसे समाचार चैनलों को विज्ञापनदाताओं और उनकी एजेंसियों से इस आधार पर कड़ी धक्का–मुक्की का सामना करना पड़ रहा है कि रेटिंग डेटा की अनुपस्थिति चैनल के प्रदर्शन पर मौजूदा रूझानों के उनके विश्लेषण को सीमित कर रही है। एनबीएफ ने पत्र में कहा कि 'इससे समाचार चैनलों को विज्ञापन एजेंसियों के साथ वाणिज्यिक बातचीत में काफी बड़ा नुकसान हुआ है।' ■